न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 39/17 GCMS NO 2017/00108

1. पुखराज पुत्र कोरया जाति गुर्जर निवासी आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर (मृतक)
   1/1. हेमप्रकाश पुत्र पुखराज
   1/2. धापा पत्नि पुखराज
   1/3. नानगी पुत्री पुखराज
   1/4. रामनाथी पुत्री पुखराज जातियान गुर्जर निवासीयान आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
2. नाथ्या पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
3. किशनलाल पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

(अपील विरूद्व मु0नं0 70/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री महेश अग्रवाल

दिनांक 20.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 रामसहाय द्वारा एक दावा बाबत खातेदार टीनेन्सी,दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि ग्राम आरपुरा तहसील बामनवास के साबिक ख0न0 232 रकबा 31 बीघा 5 विस्वा सिवायचक भूमि रही है। जिसमे से प्रतिवादी न0 2 पुखराज पुत्र कोरया जाति गुर्जर को 2 बीघा भूमि का आवंटन व वादी के पिता रामकुवार पुत्र हरबक्श को 3 बीघा भूमि का ... उक्त ख0न0 मे किया जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया। उसी अनुसार ... कर फसल से लाभ प्राप्त कर रहा है। उक्त भूमि के पास ही भूमि आराजी ख0न0 231 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के काबिज काश्तकार खातेदार वादी के पिता रामकुवार व प्रतिवादी न0 1 का पिता शंकर पुत्र हरवक्श गुर्जर रहे है। रामकुवार का इन्तकाल हो चुका है। जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादी न0 3 है। शंकर का भी इंतकाल हो चुका है। जिसका वारिश प्रतिवादी संख्या 1 है। हाल बंदोबस्त मे प्रतिवादी न0 2 को उक्त भूमि साबिक ख0न0 232 मे से आवंटन भूमि 2 बीघा बराबर 0.50 है0 की जगह 0.81 है0 का इन्द्राज दर्ज कर दिया है। जो पूर्णतया गलत है। प्रतिवादी न0 2 के खाते मे मात्र 0.50 है0 भूमि होनी चाहिए। इस प्रकार 0.81 है0 मे से 0.31 है0 भूमि प्रतिवादी न0 2 के खाते मे गल भू प्रबंध विभाग ने गलत रूप से दर्ज कर दी है। जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नही है। जो नल एण्ड बोईड है। इस गलत इन्द्राज से वादी के हक हकुक का अंदेशा पैदा हो गया। वादी को इन्द्राज दुरूस्ती कराना आवश्यक है। आराजी साबिक ख0न0 232 व 231 ऐडजोईनिंग भूमि है और ख0न0 231 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी की है। ख0न0 232 मे से 3 बीघा भूमि वादी की तन्हा खातेदारी की है जो कि वादी के पिता को आवंटन हुआ है। जिसको कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है। हाल ख0न0 388 व 392 एडजोइनिंग भूमि है जिसमे कि ख0न0 388 वादी की है तथा ख0न0 392 प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि है। जिसमे की वादी 0.06 है0 भूमि की वादी की खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा की प्रतिवादी न0 2 के खाते से पश्चिम दिशा की भूमि है। जिस पर वादी के मौके पर रहकर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। रेवेन्यू रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 2 के नाम इन्द्राज ज्यादा भूमि का गलत दर्ज है। प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल बंदोबस्त ख0न0 388 व 392 मे स्थित भूमि रकबा 0.16 है0 जो कि प्रतिवादी न0 2 के खाते मे ज्यादा दर्ज है के कब्जे काश्त मे उपयोग मे वादी को किसी प्रकार की महाजमत दखल नही करे ना ही अन्य से करावे। तथा रहन बय नही करे तथा दावा इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 2 के खाते मे आराजी हाल ख0न0 392 रकबा 0.81 है0 मे से 0.16 है0 पश्चिम दिशा का वादी की खातेदारी भूमि से लगता हुआ जानिब दिशा पूर्व ख0न0 388 से वादी को काबित काश्तकार खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के खाते से हाल ख0न0 392 रकबा 0.81 है0 मे से रकबा 0.16 है0 भूमि कम की जाकर वादी की खातेदारी मे दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादी न0 3 को वादी के साथ खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील [illegible] कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि [illegible] होने के कारण निरस्त योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तनकी कामय किये व प्रत्येक तनकी का बिना विस्तृत विवेच किये आलोच्य आदेश पारित किया है। जो आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी अपना वाद ऐडजोईनिंग भूमि के आधार पर लेकर आया था जिसके सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो तनकी बनाई ना ही उसके संबंध मे कोई हवाला अपने निर्णय मे दिया है ना ही वादी ने अपनी साक्ष्य मे बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी बनाते समय यह भी नही लिखा कि यह तनकी किसके द्वारा साबित की जानी है उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिकी किये जाने मे भारी भूल की है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलांट अपने काउन्टर क्लेम के संबंध मे दस्तावेज पेश करता व वादी के गवाहान से जिरह करता जिससे प्रकरण की सच्चाई न्यायालय के समक्ष आती। उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वादी के दावे के विरूद्व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसका हवाला भी अपने निर्णय मे नही दिया है ना ही उसे खारिज किया है ना ही स्वीकार किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत होने से खारिज योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से दावा साबिन नही होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा डिकी किया है जो विधिक भूल है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे उक्त प्रकरण की तारीख पेशी 2.3.17 से 16.3.17 नियत की गई व 16.3.17 से 4.5.17 तक नियत की गई। किन्तु उसके बाबजूद पत्रावली को बीच मे तलब फरमाकर एक तरफा साक्ष्य ली गई तथा गुपचुप तरीके से पत्रावली की बहस दिनांक 27.4.17 को सुनी जाकर अपीलांट के विरूद्व एक तरफा फैसला कर दिया। जो न्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह नही बताया है कि किस आधार पर अपीलांट की भूमि मे से भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजो व बयानो को डिस्कस किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है इस कारण प्रकरण मे सुना जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को अपीलाधीन आदेश की पालना मे अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया तो अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा निर्णय की सूचना समय पर नही देने के कारण अपील पेश करने मे देरी हुई है । जानकारी प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश जारी किया गया है। अपीलांट को उक्त आदेश की पूर्व मे जानकारी नही थी ना ही अपीलांट के वकील द्वारा बताया गया। इस प्रकार धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कहा [illegible] तहसील बामनवास के साबिक ख0न0 232 रकबा 31 बीघा 5 [illegible] रही है जिसमे से अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पुखराज पुत्र कोरया जाति गुर्जर को 2 बीघा भूमि का आवंटन व रेस्पो0 के पिता रामकुवार पुत्र हरबक्श को 3 बीघा भूमि का आवंटन उक्त ख0न0 मे किया जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया। उसी अनुसार रेस्पो0 भूमि पर काबिज रह कर काश्त कर फसल से लाभ प्राप्त कर रहा है। उक्त भूमि के पास ही भूमि आराजी ख0न0 231 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा के काबिज काश्तकार खातेदार रेस्पो/वादी के पिता रामकुवार व रेस्पो0न0 2 का पिता शंकर पुत्र हरवक्श गुर्जर रहे है। रामकुवार का इन्तकाल हो चुका है। जिसके वारिसान रेस्पो0 न0 1 व रेस्पो0 न0 3 है। शंकर का भी इंतकाल हो चुका है। जिसका वारिश रेस्पो0 संख्या 2 है। हाल बंदोबस्त मे अपीलांट पुखराज को आवंटित भूमि साबिक ख0न0 232 मे से आवंटन भूमि 2 बीघा बराबर 0.50 है0 की जगह 0.81 है0 का इन्द्राज दर्ज कर दिया है। जो पूर्णतया गलत है। अपीलांट पुखराज के खाते मे मात्र 0.50 है0 भूमि होनी चाहिए। इस प्रकार 0.81 है0 मे से 0.31 है0 भूमि अपीलांट पुखराज के खाते मे हाल भू प्रबंध विभाग ने गलत रूप से दर्ज कर दी है। जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नही है। जो नल एण्ड बोईड है। इस गलत इन्द्राज से रेस्पो/वादी के हक हकुक का अंदेशा पैदा हो गया। रेस्पो/वादी को इन्द्राज दुरूस्ती कराना आवश्यक है। आराजी साबिक ख0न0 232 व 231 ऐडजोईनिंग भूमि है और ख0न0 231 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा भूमि रेस्पो/वादी व अपीलांट/पुखराज खातेदारी की है। ख0न0 232 मे से 3 बीघा भूमि रेस्पो/वादी की तन्हा खातेदारी की है जो कि रेस्पो/वादी के पिता को आवंटन हुआ है। जिसको कि रेस्पो/वादी अपीलांट पुखराज से प्राप्त करने का अधिकारी है। हाल ख0न0 388 व 392 एडजोइनिंग भूमि है जिसमे कि ख0न0 388 रेस्पो0/वादी की है तथा ख0न0 392 अपीलांट पुखराज की खातेदारी की भूमि है। जिसमे की रेस्पो/वादी 0.06 है0 भूमि की रेस्पो/वादी की खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा की अपीलांट/पुखराज के खाते से पश्चिम दिशा की भूमि है। जिस पर रेस्पो/वादी के मौके पर रहकर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। रेवेन्यू रिकार्ड मे अपीलांट/पुखराज के नाम इन्द्राज ज्यादा भूमि का गलत दर्ज है। जिसे ही दुरूस्त कराने हेतु एवं अपीलांट द्वारा भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की मंशा होने से रेस्पो/वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 1 नाथ्या पुत्र शंकर व प्रतिवादी संख्या 2 पुखराज पुत्र कोरया जरिये वकालतन उपस्थित हुए है तथा अन्य प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन झूठा साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी नाथ्या द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर काउन्टर क्लेम को विड्रा किये जाने का निवेदन किया गया है। दिनांक 11.10.15 को प्रतिवादी व वकील प्रतिवादी के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है। उस एक तरफा कार्यवाही के आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्या[illegible] किसी प्रकार की चाराजोही नही की गई है। इस कारण अपीलाट का यह [illegible] बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण [illegible]यात कायम की गई है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के अनुरूप ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम आरपुरा तहसील बामनवास के साबिक ख0न0 232 रकबा 31 बीघा 5 विस्वा सिवायचक भूमि रही है। जिसमे से अपीलांट पुखराज पुत्र कोरया जाति गुर्जर को 2 बीघा भूमि का आवंटन व रेस्पो0 के पिता रामकुवार पुत्र हरबक्श को 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को आवंटित हुए रकबे 0.50 है0 की जगह सेटलमेंट विभाग द्वारा 0.81 है0 का इन्द्राज किया जाना बताया है। जो वादी/रेस्पो0 की भूमि से कम किया जाना बताया है। पत्रावली मे संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 मे भी भूमि ख0न0 392 का रकबा 0.81 है0 दर्ज है। जो कि अपीलांट पुखराज पुत्र कोरिया जाति गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकर से जाहिर है कि पत्रावली मे तारीख पेशी दिनांक 4.5.17 सुनवाई हेतु नियत थी परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दिनांक 30.3.17 को पेशी पर ली जाकर तनकीयात कायम की गई इसके संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपींलांट/अपीलांट अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई है। इसी प्रकार दिनांक 27.4.17 को वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र डिक्री किया गया है जो कि विधि के विपरीत है साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के बाबत किसी प्रकार का कोई निर्णय अपने निर्णय मे अंकित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो की पूर्ण रूप से पालना नही की गई है। उपरोक्त विवेचन से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास के मु0नं0 70/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.17 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के समक्ष दिनांक 27.2.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

(... बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner